

शिव-जय

वर्ष 2010-11 का आवंटन
स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

मुख्य विकास अधिकारी
बस्ती, ललितपुर, रमाबाईनगर (कानपुर देहात), श्रावस्ती, झांसी, कन्नौज, मिर्जापुर,
हमीरपुर, बांदा, जौनपुर एवं शाहजहांपुर।

पत्रांक: शिव-20 / सम्पेक्षा / महा0मा0स0आ0 / 2010-11 दिनांक 9 नवम्बर-2010

विषय: वित्तीय वर्ष 2010-11 में महामाया सर्वजन आवास योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-2103/38-4-10-6-बजट/2009, दिनांक 12-10-2010 (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसके द्वारा महामाया सर्वजन आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिये अनुदान संख्या-13 में बजट प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 45.00 करोड़ में रू0 225000000/- (रूपये बाईस करोड़ पचास लाख मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निस्तारण पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि में से रू0 85880000/- (रूपये आठ करोड़ अठ्ठावन लाख अस्सी हजार मात्र) संलग्नक के सम्मुख कालम-3 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है :-

1- आवंटित की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

2- आवंटित की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, तो ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात ही किया जायेगा।

3- समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु बजट मैनुवल में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक आदि में न रखा जाय।

4- आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही समर्पित किया जायेगा।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-"2515-अन्य ग्राम विकास-कार्यक्रम-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-महामाया सर्वजन आवास योजना-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7- उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनगत के पृष्ठ-177 पर कर ली गयी है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

महदीय
(संजीव कुमार)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

पत्रांक: आ.सं. 28 / सम्प्रेक्षा / महा०मा०स०आ० / 2010-11 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र०।
- 3- सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ०प्र०शासन।
- 4- सम्बन्धित मंडलायुक्त / जिलाधिकारी / कोषाधिकारी / जिला विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- 5- सम्बन्धित परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ०प्र०।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 / राज्य योजना आयोग-2 नियोजन अनुभाग-4
- 7- ग्राम्य विकास, अनुभाग-3
- 8- संयुक्त सचिव, उ०प्र० शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग-4 को उनके पत्रांक-2103 / 38-4-10-6-बजट / 2009, दिनांक 12-10-2010 के क्रम में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ०प्र०

महामाया सर्वजन आवास योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	मेरठ		0.00
2	गाजियाबाद		0.00
3	बुलन्दशहर		0.00
4	गौतमबुद्धनगर		0.00
5	बागपत		0.00
6	सहारनपुर		0.00
7	मुजफ्फरनगर		5.75
8	मुरादाबाद		0.00
9	बिजनौर		0.00
10	रामपुर		0.00
11	ज्योतीबाफूलेनगर		0.00
12	बरेली		0.64
13	बदायूं		5.24
14	शाहजहाँपुर	145.80	611.35
15	पीलीभीत		0.00
16	आगरा		6.90
17	मैनपुरी		209.37
18	मथुरा		14.44
19	फिरोजाबाद		1.15
20	अलीगढ़		0.00
21	एटा		24.02
22	काशीराम नगर		20.32
23	महामायानगर(हाथरस)		0.00
24	झांसी	34.55	70.20
25	जालौन		0.00
26	ललितपुर	13.06	55.35
27	बांदा	84.60	151.42
28	हमीरपुर	30.15	43.57
29	महोबा		35.65
30	चित्रकूट		0.00
31	इलाहाबाद		0.00
32	फतेहपुर		0.00
33	प्रतापगढ़		57.88
34	कौशाम्बी		121.76

महामाया सर्वजन आवास योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
35	कानपुर नगर		61.84
36	कानपुर देहात	157.50	213.97
37	इटवा		68.61
38	फर्रुख्खाबाद	37.35	63.93
39	कन्नौज	24.46	49.50
40	औरैया		7.20
41	वाराणसी		0.00
42	गाजीपुर		56.47
43	जौनपुर	98.55	136.37
44	चन्दौली		343.08
45	मिर्जापुर	87.88	455.00
46	सोनमद्र		101.63
47	सन्त रविदास नगर		0.00
48	लखनऊ		77.56
49	सीतापुर		336.80
50	उन्नाव		545.93
51	हरदोई		132.37
52	लखीमपुर खीरी		0.00
53	रायबरेली		197.15
54	गोरखपुर		12.01
55	देवरिया		10.73
56	कुशीनगर		0.00
57	महाराजगंज		0.00
58	बस्ती	3.60	80.12
59	सिद्धार्थनगर		21.59
60	संतकबीरनगर		18.00
61	आजमगढ		0.00
62	मऊ		0.00
63	बलिया		0.00
64	फैजाबाद		69.76
65	बाराबंकी		172.87
66	सुल्तानपुर		0.00
67	अम्बेडकरनगर		147.19
68	गोन्डा		74.87
69	बहराइच		0.00

पत्र संख्या-जीओ-२४ /सम्प्रेक्षा/म०मा०स०आ०यो०/२०१०-११, दिनांक ३ नवम्बर-२०१० का संलग्नक

महामाया सर्वजन आवास योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
70	बलरामपुर		0.00
71	श्रावस्ती	141.30	469.24
	राज्य योग	858.80	5358.80

(रु० आठ करोड़ अठान्न लाख अस्सी हजार मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)

अपर आयुक्त(लेखा)

ग्राम्य विकास, उ० प्र०।

आंक 28/2103/2009 (6)

18/10/2010

संख्या-2103/38-4-10-6 बजट/2009


प्रेषक,

सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ०प्र०, लखनऊ

अवर आयुक्त
(लेखा)



ग्राम्य विकास अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक- 12 अक्टूबर, 2010

विषय:- महामाया सर्वजन आवास योजनान्तर्गत वर्ष-2010-11 के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-174/सम्प्रेक्षा/2010-11, दिनांक- 06 सितम्बर, 2010 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामाया सर्वजन आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष-2010-2011 के लिए अनुदान संख्या-13 में बजट प्राविधानित धनराशि रू०-90.00 करोड़ में से प्रथम छः माह हेतु शासनादेश संख्या-651/38-9-10-6 बजट /2009, दिनांक-25 अप्रैल, 2010 द्वारा रू०-4500.00/-लाख(रूपये चार हजार पांच सौ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। बजट प्राविधानित अवशेष धनराशि रू०-45.00 करोड़(रूपये पैतालिस करोड़ मात्र) के सापेक्ष रू०-22.5 करोड़(रूपये बाइस करोड़ पचास लाख मात्र) स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- 1- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।
- 3- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।
- 4- समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु बजट मैनुअल में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक आदि में नहीं रखा जायेगा।
- 5- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

6- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखा शीर्षक- 2515- अन्य ग्राम्य विकास-कार्यक्रम-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-महामाया सर्वजन अवास योजना- 27- सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि समय से धनराशि का उपयोग हो सकें।

2- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2-649/दस-2010, दिनांक-07 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

11.10.10
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2103(1)/38-4-10 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
11. ग्राम्य विकास अनुभाग-3
12. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।